



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27721

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1875 वर्ष 2026

राम नारायण

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : महेश कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश कुमार और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता एक सफाई कर्मचारी है, उसे 15.04.2025 को निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद 16.06.2025 को बहाल कर दिया गया था, लेकिन उसे उक्त अवधि का वेतन नहीं दिया गया है और वह 15.04.2025 से 16.06.2025 तक का वेतन तथा वर्ष 2024-25 से 2025-26 का एसीपी मांग रहा है।
3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय दूसरे प्रत्यर्थी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कौशाम्बी द्वारा किया जाएगा।
4. अधिवक्ताओं द्वारा किए गए उक्त तर्क पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता 20.02.2026 तक दूसरे प्रत्यर्थी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कौशाम्बी के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। तत्पश्चात, दूसरा प्रत्यर्थी दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा।
5. यदि दूसरा प्रत्यर्थी इस राय का है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो कागजात उसे प्रेषित कर दिए जाएं।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"